राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांकः ए.1(8)378/2/2025 दिनांक : 20.01.2026

(1) रीको जो कि राजस्थान सरकार का उपक्रम है, में निम्नांकित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद का नाम	कुल पद	अनारक्षित				आरक्षित पद																						क्षैतिज आरक्षण	
			Unreserved (UR)				Backward Class (BC)				Scheduled Caste (SC)				Scheduled Tribe (ST)				Economically Weaker Section (EWS)				More Backward Class (MBC)				Specially Abled Persons	Outstanding Sports Persons
			OC	Women			OC	Women			OC	Women			OC	Women			OC	Women			OC	Women				
				Gen. women	Widow	Divorcee		Gen. women	Widow	Divorcee		Gen. women	Widow	Divorcee		Gen. women	Widow	Divorcee		Gen. women	Widow	Divorcee		Gen. women	Widow	Divorcee		
1.	कम्पनी सचिव	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	-
2.	सहायक नगर नियोजक	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	-
3.	प्रोग्रामर	01	-	-	-	-	01	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.	सहायक लेखाधिकारी– द्वितीय	21	07	01	01	-	03	-	01	-	02	01	-	-	01	01	-	-	01	01	-	-	01	-	-	-	1 (D/HH) (Backlog), 1 (LD/CP/LC/Dw/ AAV/MDy)	-
5.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	04	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (D/HH)	
6.	निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय	08	01	-	-	-	-	01	-	-	02 (including one Backlog)	01 (Backlog)	-	-	02 (including one Backlog)	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	–	-
7.	प्रारूपकार	08	03	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01 (Backlog)	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	1 (B/LV) Backlog	
8.	कनिष्ठ सहायक	54	15	04	02	-	06	02	01	-	07	02	01	-	06	01	01	-	04	-	01	-	01	-	-	-	1 (B/LV), 1 (D/HH), 1(LD/CP/ LC/ Dw/ AAV/Mdy),	1
	Total	98																										

Abbreviation used : (a) B/LV- Blindness/ Low vision **(b)** D- Deaf, HH- Hearing Impaired **(c)** LD-Locomotor Disability, CP-Cerebral Palsy, LC-Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, MDy-Muscular Dystrophy **(d)** ASD-Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD-Moderate), ID-Intellectual Disability, SLD-Specific Learning Disability, MI-Mental illness, (e) MD-Multiple Disabilities involving (a) to (d) above

नोट : रीको प्रबन्धन को उपरोक्त उल्लेखित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसके लिये पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(1) विशेष सूचना :–

1. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
4. अति पिछड़ा वर्ग के लिए रीको (रिक्रूट्मेन्ट एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रीको (रिक्रूट्मेन्ट एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण:– विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता/माता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।

   कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओ के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियों आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह–विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह–विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
7. महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
8. मुस्लिम तलाकशुदा (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत् महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को

प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य तलाकशुदा महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही तलाकशुदा श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा।

9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। **राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।** अतःअन्य राज्य के अभ्यर्थियों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No.1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

12. **उत्कृष्ट खिलाडी के पदों हेतुः–** उत्कृष्ठ खिलाडियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण रीको के कार्यालय आदेश दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाडी सम्बन्धी प्रावधानः– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक फ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होनेः–

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो

क्र.स.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में माने जाते हैं।

4.	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
6.	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल	एशियन चैंपियनशिप
7.	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
8.	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप / पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करने जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान–बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो रीको द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

13. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
14. **राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018** के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणित की जायेगी एवं उसे The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के प्रावधानों के अनुसार भरा जायेगा।
15. विशेष योग्यजन अभ्यर्थी Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
16. दिव्यांगजन आवेदक यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
17. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, के द्वारा स्वयं के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई

विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

18. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में 'यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कही भी निहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।

19. अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं वे प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन करें।

(2) वेतनमान/पारिश्रमिक :–

चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति प्रथतमः दो वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के लिये की जायेगी। इस अवधि में उन्हें निम्नानुसार समेकित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा :

क्र.सं.	पदनाम	पे–मैट्रिक्स	समेकित पारिश्रमिक (रूपये प्रतिमाह)
1.	कम्पनी सचिव	लेवल–16	47200/-
2.	सहायक नगर नियोजक	लेवल–14	39300/-
3.	प्रोग्रामर	लेवल–12	31100/-
4.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	लेवल–11	26500/-
5.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	लेवल–10	23700/-
6.	निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय	लेवल–10	23700/-
7.	प्रारूपकार	लेवल–8	18500/-
8.	कनिष्ठ सहायक	लेवल–5	14600/-

उक्त परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त वेतन नियमित पे–मैट्रिक्स में देय होगा। नियमित वेतन अन्य नियमानुसार देय भत्तों सहित दिया जावेगा।

(3) शैक्षणिक योग्यताएं एवं पात्रता :–

क्र. स.	पदनाम (Name of Post)	शैक्षणिक योग्यता (Qualification)
1.	कम्पनी सचिव Company Secretary	1) Must have passed final examination of The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and shall hold the Membership of the said Institute. 2) Must have minimum of Five years' experience as Company Secretary in a Company having minimum paid capital of Rs 50 Crore or more.
2.	सहायक नगर नियोजक Assistant Town Planner	Degree in Architecture (5 years full time course) with minimum 60% marks and Post Graduation in Town Planning form recognized University.
3.	प्रोग्रामर Programmer	B.E./B.Tech./M.Sc. in Information Technology/ Computer Science/Engineering or Electronics and/Communications or M.C.A. from a recognized University established by Law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by

		the Government OR ME/M. Tech degree in Information Technology or Computer Science/Engg. Or Electronics and/Communications from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government.
4.	सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय Assistant Accounts Officer Grade-II	B. Com with minimum 60% Marks from recognized university WITH Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited OR "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC (NIELIT) under control of the Department of Electronics, GoI. OR Computer Operator & Programming Assistant (COPA/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme OR Diploma in Computer Science/ Computer Applications/ Information Technology from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government OR Diploma in Computer Science & Electronics from a Polytechnic Institution recognized by the Government. OR IT Training Certificate from the institute of CA/CMA.
5.	कनिष्ठ विधि अधिकारी Junior Legal Officer	Law graduate (Professional Degree), from a recognized university, with minimum 55% marks or LLM, from a recognized university.
6.	निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय Personal Assistant Grade-II	**A.** Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination, And **B.** "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate Course on computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

		OR Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer applications from a University established by Law in India or from an institution recognized by the Government. OR Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer Science/Computer Application as one of the subjects. OR Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited. OR Any equivalent or higher qualification recognized by the Government. **Note:- The decision of the Appointing Authority, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.**
7.	ड्राफ्टसमैन–कम–ट्रेसर (सिविल) Draughtsman-cum-Tracer (Civil)	Diploma in Architecture from Polytechnic from recognized institute alongwith knowledge of AUTOCAD software. OR Certificate course of Draughtsman (Civil) from National Council of Vocational Trade alongwith knowledge of AUTOCAD software.
8.	कनिष्ठ सहायक Junior Assistant	**A.**Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination. And **B.** "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate Course on computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme. OR Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer applications from a University established by Law in India or from an institution recognized by the Government. OR Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer

	Science/Computer Application as one of the subjects. OR Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited. OR Any equivalent or higher qualification recognized by the Government.

आवश्यक नोट :– अभ्यर्थी को आवेदन करने वाले पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।

(4) राष्ट्रीयता :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश क्रीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट : परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ड) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) आयु सीमा :–

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

यद्यपि अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी :–

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष (Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Section of Rajasthan State)	5 वर्ष (Five Years)
2.	सामान्य वर्ग की महिला (Women Candidates belonging to General Category)	5 वर्ष (Five Years)
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला (Women Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Section of Rajasthan State)	10 वर्ष (Ten Years)

नोट–

(1). राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छुट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छुट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी

(2). विधवा होने की स्थिति में उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा होने की स्थिति में उन्हें इस संबंध में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(3). उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(4). कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे–आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(5). विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी किन्तु रीको द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति की आयु से नियुक्ति के समय उसकी आयु कम होनी चाहिये।

(6) आवेदन अवधि

दिनांक 21.01.2026 से दिनांक 20.02.2026 रात्रि 11.59 बजे तक।

(7) परीक्षा शुल्क

क्र.सं. 1 से 6 तक

(क)	सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रू. 1000/-
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी हेतु	रू. 750/-
(ग)	समस्त दिव्यांगजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रू. 500/-

क्र.सं. 7 एवं 8 तक

(क)	सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रू. 700/-
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी हेतु	रू. 525/-
(ग)	समस्त दिव्यांगजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रू. 350/-

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

2. राजस्थान सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही अभ्यर्थी शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार अन्तर राशि

का शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

(8) चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यह परीक्षा ऑनलाईन आयोजित की जाएगी। जिसके संबंध में विवरण रीको की वेबसाईट पर यथासमय प्रकाशित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगीः–

क्र.स.	पदनाम	लिखित परीक्षा		दक्षता परीक्षा*/ साक्षात्कार**	कुल अंक
		भाग–प्रथम	भाग–द्वितीय		
1.	कम्पनी सचिव	180 अंक	270 अंक	50 अंक**	400 अंक
2.	सहायक नगर नियोजक	180 अंक	270 अंक	–	450 अंक
3.	प्रोग्रामर	180 अंक	270 अंक	100 अंक*	550 अंक
4.	सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय	180 अंक	270 अंक	–	450 अंक
5.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	180 अंक	270 अंक	–	450 अंक
6.	निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय	180 अंक	270 अंक	100 अंक*	550 अंक
7.	ड्राफ्टसमैन–कम–ट्रेसर (सिविल)	180 अंक	270 अंक	100 अंक*	550 अंक
8.	कनिष्ठ सहायक	180 अंक	270 अंक	100 अंक*	550 अंक

* ऐसे अभ्यर्थी (प्रोग्रामर, ड्राफ्ट्समैन–कम–ट्रेसर (सिविल) एवं कनिष्ठ सहायक) जो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना में उल्लेखित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, उनमें से अधिकतम पांच गुणा अभ्यर्थियों एवं निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय के कुल रिक्तियों से पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये बुलाया जायेगा।

** लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाऐगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से पांच गुना होगी, जिसमें समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(9) परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम

क्र.स.	पदनाम	
1.	कम्पनी सचिव	**संलग्नक–1**
2.	सहायक नगर नियोजक	**संलग्नक–2**
3.	प्रोग्रामर	**संलग्नक–3**
4.	सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय	**संलग्नक–4**
5.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	**संलग्नक–5**
6.	निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय	**संलग्नक–6**
7.	ड्राफ्टसमैन–कम–ट्रेसर (सिविल)	**संलग्नक–7**
8.	कनिष्ठ सहायक	**संलग्नक–8**

(10) परीक्षा का स्थान व माह

रीको द्वारा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा तिथि की घोषणा यथोचित समय पर पृथक् से जारी की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह व दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केन्द्र आवंटन व उसमें परिवर्तन करने के समस्त अधिकार रीको के पास सुरक्षित हैं।

लिखित परीक्षा पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

(11) आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को रीको की वेबसाईट http://www.riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध **Recruitment 2025** link को Click कर Recruitment Portal का चयन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
2. अभ्यर्थी www.riico.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाएँ एवं "ऑनलाइन आवेदन करें" के विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
3. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें" का टैब चयन करें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल–आईडी अंकित करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या (Provisional Registration Number) और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये संपर्क विवरण एवं ईमेल–आईडी पर सिस्टम द्वारा जारी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड ईमेल एवं एसएमएस द्वारा अभ्यर्थी को भेजा जायेगा।
4. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे "सेव एंड नेक्स्ट" टैब का चयन कर पहले से अंकित किए गए डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यथियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" का उपयोग करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थीयों को आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरणों की जांच सुनिश्चित कर उन्हें स्वंय या किसी से सत्यापित करवा लेना चाहिए।
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को स्वयं ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि "पंजीकरण पूर्ण करें" बटन (Complete Registration Button) पर क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन संभव/स्वीकार्य नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी या उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन पत्र में ठीक उसी वर्तनी में लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्रों/मार्कशीट/पहचान प्रमाण पत्रों आदि में लिखा गया है। कोई भी परिवर्तन/संशोधन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर सकता है।
7. अभ्यर्थी Validate your details की मदद से अपना विवरण को सत्यापित करें एवं Save & Next बटन से अपना आवेदन पत्र सेव (Save) करें।
8. अभ्यर्थी **बिंदु "15"** में दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत फोटो और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करें।
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
10. पंजीकरण पूरा करने से पहले अभ्यर्थी पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब (Preview Tab) पर क्लिक करें।
11. यदि आवश्यक हो, तो विवरण संशोधित करें और यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही 'पंजीकरण पूरा करें' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
12. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
13. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

14. **शुल्क भुगतान (ऑनलाइन मोड) :–**

a) आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

b) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीज़ा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।

c) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बेक (Back) या रिफ्रेश बटन (Refresh Button) न दबाएँ।

d) लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई–रसीद (e-receipt) जनरेट की जाएगी।

e) 'ई–रसीद' न जनरेट होने का अर्थ है भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान न होने पर, दशा में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अंनतिम पंजीकरण संख्या (Provisional Registration Number) और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान प्रक्रिया दोहराये।

f) अभ्यर्थियों को ई–रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि यह प्रिंटआउट नहीं निकल पाता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल न हुआ हो।

g) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिएः सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर–भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

h) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया लेनदेन (Transaction) पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

i) शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।

15. **फोटोग्राफ स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :–**

(i) फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

b) आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम एक माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।

c) फोटो की पृष्टभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।

d) फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

e) फोटो में आवेदक का चेहरा एवं माथा किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

f) यदि आवेदक चश्मा पहनता है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकता हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।

g) आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।

h) फोटोग्राफ छविः (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

i) आयाम (Dimensions) 200 • 230 पिक्सेल (Pixel)

j) फाईल का साईज 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।

k) स्कैन की गई फोटो का साईज 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(ii) फोटोग्राफ कैप्चर (Photo Capture) :–

उपरोक्त फोटोग्राफ के अलावा, अभ्यर्थी को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी लाइव तस्वीर भी खींचकर अपलोड करनी होगी।

a) अभ्यर्थी द्वारा कैप्चर फोटो का ऑप्शन क्लिक करने पर वैबकैम सक्रिय हो जायेगा जिसे अभ्यर्थी अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेगें और वह आवेदन पत्र में स्वतः ही अपलोड हो जायेगी।

b) "स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें" (Click here for Scan) विकल्प चुनने पर, अभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन कर सकते हैं, जो उन्हें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट (Redirecting) करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर सकेंगे। ली गई फोटो का चयन करने पर, फोटो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।

c) फोटो कैप्चर के लिए क्या करें और क्या न करें